# मध्यप्रदेश विधान सभा

## संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

## मंगलवार, दिनांक 10 अगस्त, 2021 (श्रावण 19, शक संवत् 1943)

**विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.**

**अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.**

### 1. विशेष उल्लेख

**ओलम्पिक में पदक प्राप्त करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई**

अध्यक्ष महोदय द्वारा ओलम्पिक में पदक प्राप्त करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को अपनी और सदन की ओर से बधाई देते हुए उल्लेख किया कि – "टोक्यो (जापान) में आयोजित ओलम्पिक खेल प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन उच्च कोटि का रहा है. हमारे महिला एवं पुरूष खिलाड़ियों ने स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक प्राप्त किये हैं. पुरूष हॉकी टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक प्राप्त किया है, इस टीम के खिलाड़ी मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले के गांव चांदौन निवासी श्री विवेक सागर प्रसाद तथा राज्य हॉकी अकादमी से प्रशिक्षित नीलाकांत शर्मा ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है."

### 2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 3 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2 एवं 5) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 99 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 129 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

### 3. गर्भगृह में प्रवेश एवं व्यवधान के कारण कार्यवाही स्थगित की जाना

तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्रमांक 914) में इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण द्वारा पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस एवं महंगाई का विरोध करते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया.

व्यवधान के कारण आसंदी द्वारा सदन की कार्यवाही 11.35 बजे से स्थगित की जाकर अपराह्न 12.02 बजे विधान सभा पुन: समवेत हुई.

**अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.**

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस के अनेक सदस्यगण द्वारा पिछड़ा वर्गों के आरक्षण संबंधी नारे लिखे काला एप्रिन पहिनकर सदन में प्रवेश किया गया और लगातार खड़े रहकर प्रदर्शन किया गया. दैनिक कार्यसूची में अंकित विषयों पर सदन की कार्यवाही जारी रही.)

### 4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य की आदिवासी हितार्थ अनुसूचित क्षेत्र का पुनर्गठन नहीं कराए जाने,

(2) डॉ. सतीश सिंह सिकरवार, सदस्य की ग्वालियर के जयारोग्य चिकित्सालय में चिकित्सकों के लिए आवासों के निर्माण किये जाने,

(3) श्री संजय यादव, सदस्य की बरगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा कन्या मैट्रिक छात्रावास को प्रारंभ किये जाने,

(4) एड. बैजनाथ कुशवाह, सदस्य की मुरैना जिला स्थित चंबल नदी से सटे रहवासियों के लिए स्थाई निवास उपलब्ध कराये जाने,

(5) श्रीमती सुमित्रा देवी कास्डेकर, सदस्य की बुरहानपुर जिले के विकासखण्ड खकनार में जल संसाधन विभाग द्वारा गुणवत्तापूर्ण तालाबों का निर्माण न किये जाने,

(6) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नरयावली विधानसभा की ग्राम पंचायत जरूआखेड़ा स्थित सिद्ध क्षेत्र ठाकुर बाबा धाम के लिये स्वीकृत राशि न मिलने,

(7) श्री हर्ष विजय गेहलोत, सदस्य की मुम्बई-दिल्ली 8 लेन एवं रतलाम के पास बन रहे औद्योगिक क्षेत्र के लिये अधिकृत की गई जमीन का मुआवजा आदिवासियों को अन्य राज्यों के भांति दिये जाने,

(8) श्री पी.सी.शर्मा, सदस्य की भोपाल के वार्ड 26 भदभदा रोड बरखेड़ी कला स्थित अभिनव गृह निर्माण सहकारी संस्था के सदस्यों को भूखण्ड का आवंटन न किये जाने,

(9) सुश्री हिना लिखीराम कावरे, सदस्य की सीधी जिले के गोपद बनास में मजदूरों की मजदूरी हड़पने वाले तत्कालीन सरपंच पर कार्रवाई न होने,

(10) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की उज्जैन जिले में अतिवृष्टि से नष्ट हुई सोयाबीन की फसल का सर्वे करा कर मुआवजा राशि दी जाने तथा

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

## 5. अध्यक्षीय घोषणा

### संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार चयन समिति का गठन किया जाना

आसंदी द्वारा सदन को सूचित किया गया कि – "मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा वर्ष 1995 में मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय श्री कुंजीलाल दुबे की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में माननीय सदस्यों को संसदीय संस्कृति के प्रति जागरूक करने एवं संसदीय कार्य प्रणाली में उच्चतम मानदण्डों की स्थापना के उद्देश्य से संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई थी.

इस योजना के अंतर्गत 4 पुरस्कार दिए जाते थे. वे इस प्रकार थेः-

1. प्रदेश के प्रथम विधान सभा अध्यक्ष की स्मृति में उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार.
2. प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की स्मृति में उत्कृष्ट मंत्री पुरस्कार.
3. प्रदेश के प्रथम नेता प्रतिपक्ष की स्मृति में उत्कृष्ट संसदीय पत्रकारिता पुरस्कार.
4. प्रदेश के प्रथम विधान सभा सचिव की स्मृति में उत्कृष्ट विधान सभा कर्मी पुरस्कार.

योजना अंतर्गत वर्ष 1996 से 2008 तक उक्त पुरस्कार प्रदान किए गए. उसके पश्चात् अपरिहार्य कारणों से उक्त पुरस्कार प्रदान नहीं किए जा सके. अब वर्ष 2021 से इन पुरस्कारों को कतिपय संशोधन के साथ पुनः प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है. अतः अब संसदीय पुरस्कारों की श्रेणियाँ तथा नाम इस प्रकार से पुनर्स्थापित किए गए हैं-

(1) उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार : प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुन्दरलाल पटवा जी की स्मृति में.

(2) उत्कृष्ट मंत्री पुरस्कार : प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पं.रविशंकर शुक्ल जी की स्मृति में.

(3) उत्कृष्ट संसदीय पत्रकारिता पुरस्कार :
(i) प्रदेश की प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी की स्मृति में प्रिंट मीटिया से सम्बद्ध पत्रकारों हेतु.
(ii) प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री माणिकचंद बाजपेयी की स्मृति में इलेक्ट्रानिक मीडिया से सम्बद्ध पत्रकारों हेतु.

(4) उत्कृष्ट विधान सभा अधिकारी पुरस्कार : प्रदेश के प्रथम विधान सभा अध्यक्ष पं. कुंजीलाल दुबे की स्मृति में.

(5) उत्कृष्ट विधान सभा कर्मचारी पुरस्कार : प्रदेश के प्रथम विधान सभा सचिव श्री खं.के. रांगोले की स्मृति में.

उक्त पुरस्कारों को प्रदान किये जाने के संबंध में विचार/चयन तथा अनुशंसा करने हेतु मेरे द्वारा एक समिति का गठन किया गया है जिसमें डॉ. सीतासरन शर्मा, पूर्व अध्यक्ष एवं सदस्य, म.प्र. विधान सभा सभापति होंगे तथा सुश्री हिना लिखीराम कावरे पूर्व उपाध्यक्ष एवं सदस्य, म.प्र.विधान सभा, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, म.प्र. विधान सभा, श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य, म.प्र. विधान सभा, श्री राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य म.प्र. विधान सभा, श्री राजेन्द्र शर्मा वरिष्ठ पत्रकार एवं श्री शरद द्विवेदी, चेनल हैड बंसल न्यूज सदस्य और प्रमुख सचिव, म.प्र. विधान सभा इस समिति के पदेन सदस्य सचिव होंगे.

यह समिति वर्ष 2021 के लिए पुरस्कारों को प्रदान किये जाने हेतु अपनी अनुशंसाएं मुझे सौंपेगी तथा माह नवम्बर-दिसम्बर 2021 के सत्र के दौरान पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा."

## 6. गर्भगृह में प्रवेश एवं नारेबाजी की जाना

इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण द्वारा सरकार के पिछड़ा वर्ग विरोधी होने की बात करते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया एवं नारेबाजी की गई. भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण द्वारा भी अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी की गई.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री द्वारा सदन को सूचित किया कि कांग्रेस शासन काल में पहले यह 27% आरक्षण को लेकर गलत अध्यादेश लाए फिर कोर्ट में अपने एडवोकेट जनरल को खड़ा भी नहीं किया. तब इन्होंने पिछड़ा वर्ग के साथ धोखा किया और कोर्ट से स्टे करवा दिया. श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य द्वारा उल्लेख किया कि कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण नहीं रूकवाया बल्कि आपकी सरकार के एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में यह बयान दिया है कि जब तक न्यायालय याचिका पर निर्णय न ले ले तब तक बढ़ा हुआ आरक्षण वापस लिया जाए, हमारे समय तो गजट नोटीफिकेशन भी हो गया था.

## 7. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 13 सन् 2021) पटल पर रखा.

## 8. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) डॉ.कुंवर विजय शाह, वन मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19,

(2) श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश वित्त निगम का 65 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20,

(3) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, श्रम मंत्री ने मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21,

(4) श्री ओमप्रकाश सखलेचा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ने मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 57 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 तथा

(5) श्री राजवर्द्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ने म.प्र.प्लास्टिक पार्क डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के अन्तिम लेखे वर्ष 2018-19 (वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2019),

पटल पर रखे.

## 9. फरवरी-मार्च, 2021 सत्र की प्रश्नोत्तरी तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-7 पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष के स्थायी आदेश की कंडिका 13-क एवं नियम-51 के प्रावधान अन्तर्गत फरवरी-मार्च, 2021 सत्र की स्थगित बैठकों के दिनांक 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 एवं 26 मार्च, 2021 की प्रश्नोत्तर सूचियां तथा अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-7 पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

## 10. नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 2021 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय ने नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 2021 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

## 11. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के विगत सत्र में पारित 19 विधेयकों को माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई हैं, जिनके नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं. इन विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे :--

| क्र. | राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक | अधिनियम क्रमांक |
|---|---|---|
| (1) | मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2021 (क्रमांक 16 सन् 2021) | अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2021 |
| (2) | मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2021 (क्रमांक 17 सन् 2021) | अधिनियम क्रमांक 2 सन् 2021 |
| (3) | मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3)विधेयक, 2021 (क्रमांक 18 सन् 2021) | अधिनियम क्रमांक 3 सन् 2021 |
| (4) | मध्यप्रदेश वित्त विधेयक, 2021 (क्रमांक 19 सन् 2021) | अधिनियम क्रमांक 4 सन् 2020 |
| (5) | मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतन्त्रता विधेयक, 2021 (क्रमांक 1 सन् 2021) | अधिनियम क्रमांक 5 सन् 2021 |
| (6) | मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2021 (क्रमांक 8 सन् 2021) | अधिनियम क्रमांक 6 सन् 2021 |
| (7) | डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 9 सन् 2021) | अधिनियम क्रमांक 7 सन् 2021 |
| (8) | पंडित एस.एन.शुक्ला विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2021 (क्रमांक 10 सन् 2021) | अधिनियम क्रमांक 8 सन् 2021 |
| (9) | मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2021 (क्रमांक 11 सन् 2021) | अधिनियम क्रमांक 9 सन् 2021 |
| (10) | मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 14 सन् 2021) | अधिनियम क्रमांक 10 सन् 2021 |
| (11) | मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 21 सन् 2021) | अधिनियम क्रमांक 11 सन् 2021 |
| (12) | मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 12 सन् 2021) | अधिनियम क्रमांक 12 सन् 2021 |
| (13) | मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 15 सन् 2021) | अधिनियम क्रमांक 13 सन् 2021 |
| (14) | मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 2 सन् 2021) | अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2021 |
| (15) | मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 4 सन् 2021) | अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2021 |
| (16) | मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 5 सन् 2021) | अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2021 |
| (17) | मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 6 सन् 2021) | अधिनियम क्रमांक 17 सन् 2021 |
| (18) | मध्यप्रदेश कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2021 (क्रमांक 7 सन् 2021) | अधिनियम क्रमांक 18 सन् 2021 |
| (19) | मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 13 सन् 2021) | अधिनियम क्रमांक 19 सन् 2021 |

## 12. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार दिनांक 9 अगस्त, 2021 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों एवं वर्ष 2021-2022 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक के पुरःस्थापन, विचार एवं पारण पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय आवंटित किये जाने की सिफारिश की गई है :-

| क्रमांक | शासकीय विधेयक | आवंटित समय |
|---|---|---|
| **(1)** | मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 22 सन् 2021) | 15 मिनिट |
| **(2)** | मध्यप्रदेश संशोधन अधिनियमों का (निरसन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 23 सन् 2021) | 15 मिनिट |

| क्रमांक | शासकीय विधेयक | आवंटित समय |
|---|---|---|
| (3) | मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 24 सन् 2021) | 1 घण्टा |
| (4) | महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 25 सन् 2021) | 15 मिनिट |
| (5) | मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 26 सन् 2021) | 1 घण्टा |
| (6) | मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 27 सन् 2021) | 15 मिनिट |
| (7) | वर्ष 2021-2022 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण | 2 घण्टे |

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों एवं वर्ष 2021-2022 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक के पुरःस्थापन, विचार एवं पारण पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

## 13. अध्यक्षीय घोषणा

### (1) संसद के वृहद् पुस्तकालय का उपयोग देश के समस्त विधानमण्डलों के माननीय सदस्यगण द्वारा किया जाना

आसंदी द्वारा घोषणा की गई कि संसद की पुस्तकालय समिति के माननीय सभापति ने यह सूचित किया कि माननीय लोक सभा अध्यक्ष की भावना के अनुरूप संसद के वृहद् पुस्तकालय का उपयोग अब देश के समस्त विधानमण्डलों के माननीय सदस्यगण कर सकते हैं. तद्नुसार विधान सभा के सभी सदस्यगण को यह अवगत कराया जाता है कि जब वे दिल्ली में हों जाएं, तब आवश्यकतानुसार संसद के पुस्तकालय का उपयोग कर सकते हैं.

### (2) सम्माननीय विधायकगण हेतु आत्मीय सहभोज

आसंदी द्वारा सदन को सूचित किया गया कि सम्माननीय विधायकगणों के लिए आत्मीय सहभोज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय एवं श्री आकाश विजयवर्गीय द्वारा दिनांक 11.8.2021 विधान सभा भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया गया है, सभी सदस्यगण से अनुरोध है कि वे इसमें शामिल हों.

## 14. ध्यान आकर्षण

सुश्री हिना लिखीराम कावरे, सदस्य ने बालाघाट जिले में खाद की कमी होने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री कमल पटेल, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने वक्तव्य दिया.

## 15. अध्यक्षीय घोषणा

आसंदी द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि – "आज की कार्यसूची के पद-7 "नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण" अंतर्गत क्रमांक 2 पर अंकित भोपाल के कोकता में स्थापित ट्रांसपोर्ट नगर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव संबंधी सूचना को सूचनाकर्ता सदस्य द्वारा आगामी दिनांक 12 अगस्त, 2021 को लिये जाने का अनुरोध किया गया है."

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

## 16. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार - निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 25-शिवपुरी से निर्वाचित सदस्य, श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 121-बैतूल से निर्वाचित सदस्य, श्री निलय विनोद डागा एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 203-देपालपुर से निर्वाचित सदस्य, श्री विशाल जगदीश पटेल को विधान सभा के अगस्त, 2021 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की गई.

## 17. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया :-

(1) कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा
(2) श्रीमती झूमा सोलंकी
(3) श्री रामलाल मालवीय
(4) श्री अजय विश्नोई
(5) श्रीमती नंदनी मरावी
(6) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया

## 18. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सभापति ने याचिका समिति का याचिकाओं से संबंधित प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन तथा अभ्यावेदनों से संबंधित दशम्, ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां एवं चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किये.

(2) श्रीमती गायत्री राजे पवार, सभापति ने प्रत्यायुक्त विधान समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(3) श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सभापति ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का बीसवां से छब्बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किये.

(4) श्री जालम सिंह पटेल, सभापति ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(5) श्री पारसचन्द्र जैन, सदस्य ने नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(6) श्री पंचूलाल प्रजापति, सभापति ने पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन एवं द्वितीय (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन प्रस्तुत किये.

(7) श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति का द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम्, पष्ठम्, सप्तम् (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन प्रस्तुत किये.

(8) श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, सभापति ने महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का चतुर्थ, पंचम् एवं षष्टम् (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन प्रस्तुत किये.

(9) श्री बहादुर सिंह चौहान, सभापति ने कृषि विकास समिति का प्रथम प्रतिवेदन एवं प्रथम (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन प्रस्तुत किये.

## 19. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर)
(2 ) डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-धार)
(3) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
(4) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
(5) श्री संजय यादव (जिला-जबलपुर )
(6) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी (जिला-दमोह)
(7) श्री रामलाल मालवीय (जिला-उज्जैन)
(8) श्री मेवाराम जाटव (जिला-भिण्ड)
(9) कुंवर रविन्द्र सिंह तोमर 'भिड़ौसा' (जिला-मुरैना)
(10) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल (जिला-रायसेन)
(11) श्री ग्यारसीलाल रावत (जिला-बड़वानी)
(12) श्री पंचूलाल प्रजापति (जिला-रीवा)
(13) श्री लाखन सिंह यादव (जिला-ग्वालियर)
(14) श्री राज्यवर्धन सिंह (जिला-राजगढ़)
(15) एड. बैजनाथ कुशवाहा (जिला-मुरैना)
(16) श्री पी.सी. शर्मा (जिला-भोपाल शहर)

## 20. शासकीय वक्तव्य

श्री कमल पटेल, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री द्वारा दिनांक 9 मार्च, 2021 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्रमांक 3771) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया.

## 21. वर्ष 2021-2022 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार, वर्ष 2021-2022 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया.

## 22. अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची के पद - 14, " शासकीय विधि विषयक कार्य" में उल्लिखित विधेयकों की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए, उन्हें आज ही पुर:स्थापित किये जाने तथा विचार में लिये जाने की अनुमति प्रदान की है.

## 23. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 22 सन् 2021) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश संशोधन अधिनियमों का (निरसन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 23 सन् 2021) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(3) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 24 सन् 2021) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(4) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 25 सन् 2021) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(5) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 26 सन् 2021) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(6) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 27 सन् 2021) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(7) डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 22 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. नरोत्तम मिश्र ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 22 सन् 2021) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(8) डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश संशोधन अधिनियमों का (निरसन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 23 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. नरोत्तम मिश्र ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश संशोधन अधिनियमों का (निरसन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 23 सन् 2021) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(9) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 24 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री भूपेन्द्र सिंह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 24 सन् 2021) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(10) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 25 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. मोहन यादव ने प्रस्ताव किया कि महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 25 सन् 2021) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(11) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 26 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 10 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 26 सन् 2021) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(12) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 27 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 15 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 27 सन् 2021) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

## 24.अध्यक्षीय घोषणा

### वर्ष 2021-22 के अनुपूरक अनुमान को आज ही उपस्थापन, विचार एवं पारण हेतु अनुज्ञा प्रदान की जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 161 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, मेरे द्वारा विषय के महत्व, उपादेयता एवं प्रासंगिकता को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2021-22 के अनुपूरक अनुमान को आज ही उपस्थापन, विचार एवं पारण हेतु अनुपूरक कार्यसूची जारी कर अनुज्ञा प्रदान की है.

## 25. वर्ष 2021-2022 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि –

" दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 3, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, एवं 65 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर चार हजार, चार सौ पैंसठ करोड़, चवालीस लाख, अस्सी हजार, दो सौ अंठानवे रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये. "

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

## 26. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2021 (क्रमांक 28 सन् 2021) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2021 (क्रमांक 28 सन् 2021) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

### 27. विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना : प्रस्ताव

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन के समक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि – "मध्यप्रदेश विधानसभा के वर्तमान सत्र के लिये निर्धारित समस्त शासकीय, वित्तीय एवं अन्य आवश्यक कार्य पूर्ण हो चुके हैं. अत: मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 12- ख के द्वितीय परंतुक के अंतर्गत, " सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जाये."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

### 28. राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' का समूह-गान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' का समूह-गान किया गया.

### 29. सदन की कार्यवाही का अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किया जाना: घोषणा

अपराह्न 12.45 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई.

**ए. पी. सिंह,**
**प्रमुख सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा.**

**भोपाल:**
**दिनांक: 10 अगस्त, 2021.**